संख्या: 47/2016/711/छप्पन-2016-43/2014

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 15 जून, 2016

विषय: राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0एल0 में Inter Barrier Filter (IBF) के Installation के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 90/ना0उ0नि0/इंजी/ए-2/2016(पी), दिनांक 4.5.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि राजकीय अगुस्ता हेलीकॉप्टर वी0टी0-यू0पी0एल0 के दोनों इंजन का Tot Margin में loss होने के कारण इंजन निर्माता मैसर्स प्राट एण्ड व्हिटनी को रिपेयर हेतु भेजा गया था। इंजनों में वर्णित Detoriosation के सम्बन्ध में निर्माता कम्पनी को लिखा गया, जिसके प्रतिउत्तर में कम्पनी ने संस्तुति की है कि हेलीकॉप्टर में Inter Barrier Filter (IBF) लगा लिया जाय तथा Inter Barrier Filter (IBF) का Installation सम्बन्धी कार्य उसके Service Station M/s Airworks India, New Delhi से करा लिया जाय। तदनुसार Service Station M/s Airworks India, New Delhi से कोटेशन संख्या AWI/UP/07032016 दिनांक 7.3.2016 प्राप्त किया गया है। कोटेशन के अनुसार (IBF) Installation हेतु कुल रूपये 71,76,884/- (टैक्स सहित) का व्यय निहित है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि Service Station M/s Airworks India, New Delhi के कोटेशन के आधार पर रूपये 71,76,884/- का 70 प्रतिशत धनराशि रूपये 50,23,819/- मात्र की धनराशि अग्रिम भुगतान की जानी है। शेष 30 प्रतिशत धनराशि रूपये 21,53,065/- का भुगतान कार्योपरान्त उनसे इन्वायस/बिल प्राप्त होने के उपरान्त किया जायेगा। अतः राज्यपाल महोदय Inter Barrier Filter (IBF) का Installation करने के लिए रूपये 71,76,884/- (रूपये इकहत्तर लाख छियत्तर हजार आठ सौ चौरासी मात्र) के व्यय/भुगतान की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- राज्यपाल महोदय उक्त स्वीकृत धनराशि में से रूपये 50,23,819/- (रूपये पचास लाख तेईस हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) की धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- उक्त हेलीकॉप्टर के क्रय की गई प्रश्नगत इंगित पार्ट के Installation सम्बन्धी कार्य कराये जाने के उपरान्त भुगतान संगत नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जायेगा।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय के फलस्वरूप यदि शासन को कोई हॉनि होती है तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

8- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या 38 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- लेखा-1-एफ0ए-1-225/दस-2016, दिनांक 10 जून, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 47/2016/711(1)/छप्पन-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226 024.
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in